न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

रसद विविध :: 72/2024

जी.सी.एम.एस.नम्बर : 2024/344

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीः–
सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी पाली		1. विक्रम खारवाल पुत्र नारायणलाल निवासी खारवालों का बास हेमावास, पाली हाल प्रोपराईटर फर्म मैसर्स होटल गोरबंध हेमावास, पाली

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955"

उपस्थित :–

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. अप्रार्थी स्वंय उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 23/12/2024.

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रस्तुत कर अप्रार्थी द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डरों को अवैध रूप से व्यवसायिक उपयोग संग्रहण एवं भण्डारण कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन आदेश 2000 के क्लॉज 3ए,सी की अवहेलना कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करने से जब्तसुदा सिलेण्डरों, एक भट्टी बर्नर वाली को राज्यसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनो को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 27.09.2024 को मन प्रवर्तन अधिकारी पाली हमराह जितेन्द्रसिंह आशिया प्रवर्तन अधिकारी एवं श्रीमती कृष्णा कवंर भाटी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से गैस सिलेण्डर की अवैध रिफिलींग एवं घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु भ्रमण के दौरान अप्रार्थी की फर्म मैसर्स होटल गोरबंध हेमावास पाली पर पहुंचे। मौके पर विक्रम खारवाल पुत्र नारायणलाल उपस्थित मिले जिन्होनें खुद को फर्म का प्रोपराईटर होना बताया। मौके पर रूबरू मौतबिरान रमेश पुत्र अमराराम निवासी 245, भाम्बियों की गली पाली एवं अजय पुत्र ताराचंद निवासी 94, राजीव गांधी कॉलोनी, पुलिस लाईन, पाली हाल डिलीवरी मैन रूचिता गैस सर्विस, पाली की उपस्थिति में प्रतिष्ठान में जांच के दौरान 03 घरेलु गैस सलेण्डर (14.02 किग्रा) इण्डेन कम्पनी के पाये गये। 1 गैस सलेण्डर भट्टी से जुडा हुआ था, जिनका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। अप्रार्थी से मौके पर प्राप्त गैस सिलेण्डर से सम्बन्धी आवश्यक विधिक दस्तावेज मांगने पर कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये, न ही संतोष जनक जवाब दिया। जिस पर गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से

अति. जिला कलेक्टर, पाली

भण्डारण एवं व्यावसायिक उपयोग में लिए जाने पर गैस सिलेण्डरों का उपयोग रूकवाया जाकर मौके पर मैसर्स रूचिता गैस सर्विस, पाली के प्रतिनिधी द्वारा हैंगिग स्केल से तौल करवाने पर निम्न सारणी–1 के अनुसार स्थिति पाई गई :–

सारणी–1

(वजन Kg.मे)

क्र. सं.	नाम	कम्पनी :	सिलेण्डर पर एलपीजी उपदर्शित मानक भार/क्षमता	भरे हुये सिलेण्डर का वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	शुद्ध गैस का वजन	सिलेण्डर नम्बर
1	घरेलू गैस सिलेण्डर	IOCL	14.200	20.450	15.900	4.5550	3808 T
2	घरेलू गैस सिलेण्डर	IOCL	14.200	19.600	15.700	3.900	35906 S
3	घरेलू गैस सिलेण्डर	IOCL	14.200	28.200	15.900	12.300	336765 T
एक भट्टी (एक बर्नर वाली)							

इस प्रकार उपरोक्तानुसार सारणी–1 में वर्णित गैस सिलेण्डर व अन्य सामान को जब्त कर वजह सबूत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु अजय पुत्र ताराचंद निवासी 94, राजीव गांधी कॉलोनी, पाली हाल कर्मचारी मैसर्स रूचिता गैस सर्विस, पाली को सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द किया गया। उपरोक्त कार्यवाही के मौके पर उपलब्ध मोबाईल फोन से फोटोग्राफ्स लिये गये जो वजह सबूत पत्रावली संलग्न है व निरीक्षण पर्चा मय फर्द अभिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त घरेलु गैस सलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं व्यावसायिक उपयोग में लेना आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3ए, सी के उपबन्धों की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तसुदा 03 घरेलू गैस सिलेण्डरों (14.2 किग्रा) एवं एक बर्नर वाली भट्टी को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे।

अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी की फर्म से प्रवर्तन अधिकारी पाली द्वारा जब्तशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर अप्रार्थी के परिचितो के है जिसे उनकी फर्म में भरवाने के लिए रंखे थे तथा उनका व्यवयायिक उपयोग नहीं किया जा रहा था। जिसके संबंध में तीनों गैस सिलेण्डरों के मालिकों ने जब्तशुदा सिलेण्डरों को छुडवाने के लिए प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश किये और कथन किया कि उपरोक्त प्रकरण मिथ्या एवं झुठा है। अतः हस्तगत प्रकरण विधिविरूद्ध होने से खारिज फरमाकर प्रार्थी द्वारा जब्त तीनों गैस सिलेण्डर मय भट्टी अप्रार्थी को लौटाये जाने के आदेश फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की फर्म गोरबधं होटल हेमावास पाली पर घरेलु गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु भ्रमण दौरान पहुंचे, जहां पर अप्रार्थी एवं मौके पर रूबरू मौतबिरान रमेश

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पुत्र अमराराम निवासी 245, भाम्बियों की गली, पाली एवं श्री अजय पुत्र ताराचंद निवासी 94, राजीव गांधी कॉलोनी पुलिस लाईन, पाली हाल डिलीवरी मैन रूचिता गैस सर्विस, पाली की उपस्थिति में अप्रार्थी की फर्म का निरीक्षण करने पर अप्रार्थी की फर्म में 03 इण्डेन कम्पनी के घरेलु गैस सिलेण्डर पाये गये, जिनमें से 01 गैस सिलेण्डर भट्टी से जुड़ा हुआ था, जिनका अप्रार्थी द्वारा व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। उक्त गैस सिलेण्डर के उपयोग के बारे में अप्रार्थी ने कोई सन्तोषप्रद जवाब नहीं दिया और न ही इसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये, जिसकी ताईद प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण पर्चा से होती है।

इसके अतिरिक्त दौराने बहस जोगाराम पुत्र सवाराम, मेगाराम पुत्र मिश्रीलाल एवं अर्जुन पुत्र सवाराम निवासीगण हेमावास, जिला पाली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों में अंकित तथ्यों से यह स्पष्ट करने में असमर्थ रहे कि उक्त गैस सिलेण्डर उनके है और उनका व्यवसायिक उपयोग नहीं हो रहा था। साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौकाफर्द के अवलोकन से भी यह स्पष्ट जाहिर होता है कि घरेलु गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग हो रहा था, जिस पर प्रार्थी द्वारा उक्त घरेलु गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग रूकवाकर हैगिंग स्केल द्वारा तौल किया एवं एक भट्टी को कब्जे में लेकर मैसर्स रूचिता गैस सर्विस, पाली को सुपुर्द किया। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त समस्त कार्यवाही मौके पर द्रवित गैस, पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवसं विनियमन) आदेश 2000 के तहत की है। अप्रार्थी भी दौराने बहस यह स्पष्ट करने नहीं कर पाये कि उक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग नहीं हो रहा था। जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के उपबन्धों की अवहेलना की है। लिहाजा उक्त जब्तसुदा घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

परिणामस्वरुप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर उपरोक्त सारणी–1 में वर्णित 03 घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यावसायिक उपयोग किए जाने पर जब्तसुदा घरेलु गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) के अवैध भण्डारण एवं उपयोग कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3ए, सी के उपबन्धों की अवहेलना किये जाने से उक्त 03 गैस सिलेण्डरों को मय गैस राज्यसात (Confiscate) किया जाता हैं एवं जब्त एक बर्नर वाली छोटी भट्टी अप्रार्थी को सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की सत्यप्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि जब्त सुदा घरेलु गैस सिलेण्डरों को मय गैस सुपुर्ददार से प्राप्त कर राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक F 86(8)खा.ले./नीति/6ए/2020 जयपुर दिनाँक 19.08.2000 के अनुरूप ही जब्तसुदा गैस सिलेण्डरों के निस्तारण की कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली